

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

सं. एफ-6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3 एच

जयपुर, दिनांक:-01.03.2002

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6 (179) परि/टैक्स/एचक्यू/95/3जी, दिनांक 31.03.2000 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, इसके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा विनिर्दिष्ट, राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रीकृत विभिन्न वर्ग के परिवहन यानों, सन्निर्माण, उपस्कर यानों (गैर-परिवहन यानों से भिन्न) और कैम्पर वैन/ट्रेलर, टिपर, कैशवेन, मोबाइल कैंटीन, हालपैक, डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बुलैस, एनीमल एम्बुलैस, फायर टेन्डर्स, स्नोर्कड् लेडर, ऑक्जिलरी ट्रेलर और अग्निशमन यान, हीयर्स, मेल केरियर, मोबाइल क्लिनिक/एक्सरे वैन/लाईब्रेरी वैन जैसे यानों और राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत तथा राजस्थान में जारी किये गये परमिअ पर चलाये जा रहे या राजस्थान में उपयोग के लिए रखे गये यानों के मामले में कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा विहित करती है :-

सारणी

क्र. सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की वार्षिक दर
1	2	3
1.	यात्री यान	
(क)	1,75,000/- रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.25
(ख)	1,75,000/- रु. से अधिक और 4,00,000/- रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 0.75
(ग)	4,00,000/- रु. से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 3.5
(घ)	80,000/- रु. तक की लागत वाली चैसिस 75	चैसिस की लागत का 1.
(ङ)	80,000/- रु. से अधिक और 1,75,000/- रु. तक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 2.5
(च)	1,75,000/- रु. से अधिक और 4,00,000/- रु. तक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 2.0
(छ)	4,00,000/- रु. से अधिक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 5.0

परन्तु यह कि :-

(1) ऐसे यात्री यान जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी गैर-अस्थायी

परमिट के अन्तर्गत आते हैं या पुराने गैर-अस्थायी परमिट के रद्दकरण के पश्चात 30 दिन के भीतर-भीतर नया गैर-अस्थायी परमिट प्राप्त कर लेते हैं, ऊपर स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दर के 1/5 के हिसाब से कर संदत्त करेंगे ।

- (2) राजस्थान राज्य में पहली बार रजिस्ट्रीकृत यात्री यानों या अन्य राज्यों के यात्री यान की दशा में जब इस राज्य में स्वामित्व का अन्तरण या पते में परिवर्तन 1.4.1997 को या इसके पश्चात् किया गया है, स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दर के 1/5 के हिसाब से कर यदि यान किसी गैर-अस्थायी परमिट के अन्तर्गत है तो रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से स्वामित्व के अन्तरण या यथास्थिति, पते में परिवर्तन की तारीख से 120 दिन के भीतर-भीतर इस शर्त के अध्याधीन संदत्त करेंगे कि गैर-अस्थायी परमिट की मंजूरी के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में स्वामित्व के अन्तरण या, यथास्थिति, पते में परिवर्तन की तारीख से 30 दिन के भीतर-भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है।

2. माल यान

(1) संलग्न यान

(क) 6,00,000/- रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान

(i) 28,000 कि.ग्रा. तक के हार्स की लागतका1.5%
जी.वी.डब्ल्यू. वाली चैसिस/यान

(ii) 28,000 कि.ग्रा. से अधिक के हार्स की लागत का2.5%
जी.वी.डब्ल्यू. रखने वाली चैसिस/यान

(ख) 6,00,000/- रु. से अधिक और 10,00,000/- रु.हार्स की लागत का2.0%
तक की लागत वाली चैसिस/यान

(ग) 10,00,000/-रु. से अधिक की लागत उपर्युक्त उप-खण्ड (ख)
वाली चैसिस/यान, 10,00,000/- रु. से यथा विनिर्दिष्ट दर के
अधिक प्रत्येक 1000/-रु. या उसके अतिरिक्त प्रत्येक
भाग के लिए 1000/-रु. या उसके
भाग के लिए 0.05%

(2) संलग्न यान से भिन्न

(क) 70,000/-रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान चैसिस/यान की लागत
का 3.0%

(ख) 70,000/-रु. से अधिक और 1,50,000/- रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान चैसिस/यान की लागत
का 1.5%

(ग) 1,50,000/-रु. से अधिक और 6,00,000/-रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान चैसिस/यान की लागत
का 0.75%

(घ) 6,00,000/-रु.से अधिक और 10,00,000/-रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान चैसिस/यान की लागत
का 0.80%

(ङ) 10,00,000/-रु. से अधिक की लागत वाली चैसिस/यान, 10,00,000/-रु. उपर्युक्त उप-खण्ड (घ)
में यथाविनिर्दिष्ट दर के

से अधिक प्रत्येक 1000/—रु. या
उसके भाग के लिए

अतिरिक्त प्रत्येक
1000/—रु. या उसके
भाग के लिए 0.05%

3. संनिर्माण उपस्कर यानों (गैर—परिवहन यानों से भिन्न) और उपर्युक्त किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत न आने वाले कोई भी अन्य परिवहन यान या डम्पर, लोडर, केम्पर वैन, ट्रेलर, टिपर, कैशवेन, मोबाइल कंटीन, हालपेक, डम्पर, मोबाइल वर्कशॉप, एम्बुलेंस, एनीमल एम्बुलेंस, फायर टेण्डर्स, स्नोर्कड लेडर, ऑक्जिलरी ट्रेलर और अग्निशमन यान, हीयर्स, मैल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक/एक्सरे वैन/लाईब्रेरी वैन आदि जैसे यान

(क) 10,00,000/—रु. तक की लागत वाले यान

यान की लागत का 1.0%

(ख) 10,00,000/—रु. से अधिक और
20,00,000/—रु. तक की लागत वाले यान

यान की लागत का 1.5%

(ग) 20,00,000/—रु. से अधिक की
लागत वाले यान, 20,00,000/—रु.
से अधिक प्रत्येक 1000/—रु. या
उसके भाग के लिए

उपर्युक्त उप—खण्ड(ख)
में यथाविनिर्दिष्ट दर के
अतिरिक्त प्रत्येक

1000/—रु. या उसके
भाग के लिए 0.05%

(घ) 10,00,000/—रु. तक की लागत वाली चैसिस

चैसिस की लागत का
1.5%

(ङ) 10,00,000/—रु. से अधिक और
20,00,000/—रु. तक की लागत वाली चैसिस

चैसिस की लागत का
2.0%

(च) 20,00,000/—रु. से अधिक की लागत
वाली चैसिस, 20,00,000/—रु. से
अधिक प्रत्येक 1000/—रु. या उसके
भाग के लिए

उपर्युक्त उप—खण्ड(ङ)
में यथाविनिर्दिष्ट दर के
अतिरिक्त प्रत्येक

1000/—रु. या उसके
भाग के लिए 0.05%

टिप्पणी : किसी मोटर यान के स्वामी या उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो राजस्थान वित्त अधिनियम, 1997 के अध्याय V के उपबंधों के अधीन जारी की गयी इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय—समय पर ऐसे यानों पर लागू थी ।

स्पष्टीकरण : कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है ।

**राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव**

